विकास आदि बनाम् ...

प्रकरण संख्या–95 / 2021

प्रकरण–अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

जी.सी.एम.एस नं. 2021/172

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
08-10-21	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से जरिये वकील प्रार्थना–पत्र धारा **212 आर.टी.ए.** के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक–1 एम.एस.आर. का मुरब्बा नं.–36, पत्थर सं. –297 / 445 के किला नम्बर 7 में 0.026 हैक्टर, किला नम्बर 13 में 0.038 हैक्टर वा किला नम्बर 14 में 0.189 हैक्टर कुल 0.253 हैक्टर रकबा कमाण्ड भूमि में से 0.051 हैक्टर कृषि भूमि पर अगली तारीख पेशी पर अप्रार्थी संख्या–01 को इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि के किसी विशिष्ट किले / क्षेत्र को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तान्तरित न करें। सम्बन्धित को तहरीर / सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक–**28.10.2021** को पेश हो। (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
20/10/21	आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट 30 APD में पेश होने पर पेश हुई ... होने के कारण प्रा० पत्र 212 RTA ... होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर ले कम हो। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Tala
Date: 2021.12.06 13:33:38 IST
Reason: SelfAttested